संख्या- 40/2018/936/30-3-16-05बी/2016

प्रेषक,

मुहम्मद अखलाक खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 28 मार्च, 2018

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 02.01.2018 में अनुमोदित 10 फिटनेस पिट के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-322स0सु0/2018-06प्रा0वि0/2015, दिनॉक 19-03-2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबंधन समित की बैठक दिनांक 31.08.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार 10 फिटनेस पिट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-24/2016/823/30-3-2016-5बी/2016, दिनांक 22.03.2016 द्वारा रू० 172.60 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त रू 86.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयीा तद्क्रम में शासनादेश संख्या-05/2017/432/30-3-2017-5बी/2016, दिनांक 24.03.2017 द्वारा द्वितीय किश्त रू० 86.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। इस प्रकार कुल धनराशि रू० 172.60 लाख कार्यदायी संस्था यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०लखनऊ को उपलब्ध करा दी गयी है। तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24 वृहत निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि रू0 991.10 लाख में से उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत "कोष प्रबन्धन समिति" की बैठक दिनॉक 02-01-2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार-संभागीय परिवहन कार्यालय-देवीपाटन (गोण्डा) तथा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय-श्रावस्ती, संतकबीरनगर, इलाहाबाद, महोबा, पीलीभीत, बलिया, मीरजापुर, मथुरा व कासगंज में उपलब्ध भूमि पर फिटनेस पिट के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ के पुनरीक्षित आगणन रू० 335.30 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित/आंकलित लागत रू 284.90 लाख (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रयोजना की मूल स्वीकृति लागत रू० 172.60 लाख के सापेक्ष अंतर की धनराशि रू० 112.30 लाख (संलग्न सूची के अनुसार) की (रू0 एक करोड़ बारह लाख तीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.08.2017 वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

(2) कार्य की विशिष्टयॉ मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिय है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेगें कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा कियी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(6) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) निरीक्षक कक्ष एवं फिटनेस पिट के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-2057/30-3-13-20बी/2013, दिनॉक 03-09-2013 में मानकीकरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(9) प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) शासनादेश दिनांक 26.08.2014 के अन्तर्गत परियोजना के मूल्यांकन के संबंध में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(मुहम्मद अखलाक खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-40/2018/936(1)/30-3-2018, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन कार्यालय-देवीपाटन (गोण्डा) तथा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय-श्रावस्ती, संतकबीरनगर, इलाहाबाद, महोबा, पीलीभीत, बलिया, मीरजापुर, मथुरा व कासगंज।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, बायां तट, गोमतीनगर, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सूची-क

10 फिटनेस फिट के निर्माण कार्य का विवरण :

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित/आंकलित लागत	अंतर की धनराशि/स्वीकृत धनराशि
1	सन्तकबीर नगर	17.26	31.23	13.97
2	बलिया	17.26	26.13	08.87
3	इलाहाबाद	17.26	29.28	12.12
4	मिर्जापुर	17.26	30.12	12.86
5	देवीपाटीन(गोण्डा)	17.26	27.72	10.46
6	श्रावस्ती	17.26	27.47	10.21
7	महोबा	17.26	28.29	11.03
8	पीलीभीत	17.26	28.76	11.50
9	कासगंज	17.26	28.06	10.80
10	मथुरा	17.26	27.74	10.48
	योग:-	172.60	284.90	112.30

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।